



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 184 राँची, मंगलवार,

22 अप्रैल, 2025 (ई०)

जल संसाधन विभाग

संकल्प

3 अप्रैल, 2025

पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/कार्य/1028/2024/162--

विषय:- बालपहाड़ी सिंचाई योजनान्तर्गत बालपहाड़ी डैम के अधोप्रवाह (D/S) में राज्य सरकार द्वारा बालपहाड़ी बराज के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

1. दामोदर-बराकर बेसिन झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में लगभग 24.325 वर्ग कि०मी० कमांड क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका लगभग आधा हिस्सा झारखण्ड राज्य में पड़ता है। इस राज्य के रामगढ़, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह जिले के भू-भाग इस बेसिन में पड़ते हैं।
2. सन् 1943 के विनाशकारी बाढ़ के पश्चात दामोदर बराकर बेसिन में बाढ़ से निदान प्राप्त करने एवं घाटी के एकीकृत विकास हेतु सन् 1944 में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के टेनिसी वैली ऑथोरिटी (TVA) के वरीय अभियंता डब्लू०ई० वुर्डइन को सुझाव देने हेतु नियुक्त किया गया, जिनके द्वारा इस घाटी के बहुदेशीय विकास हेतु कोनार, तिलैया, मैथन, पंचेत, बोकारो, बालपहाड़ी तथा अय्यर में 7 Storage डैम, बेरमो में एक डाईवर्सन डैम एवं दुर्गापुर में दामोदर नदी पर दुर्गापुर बराज के निर्माण का सुझाव दिया गया।
3. मार्च, 1948 में दामोदर घाटी के सामाजिक, आर्थिक उन्नति हेतु भारत सरकार द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम (1948 के अधिनियम संख्या XIV) केन्द्रीय विधानमंडल द्वारा पारित कर 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम का गठन किया गया। दामोदर घाटी निगम अधिनियम के तहत दामोदर-बराकर बेसिन के जल प्रबंधन एवं विकास की सम्पूर्ण जिम्मेवारी दामोदर घाटी निगम को प्रदान की गई।

4. दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रथम चरण में झारखण्ड की सीमान्तर्गत 1953 में बराकर नदी पर तिलैया डैम, 1955 में कोनार नदी पर कोनार डैम, 1957 में बराकर नदी पर मैथन डैम तथा 1959 में दामोदर नदी पर पंचेत डैम तथा पश्चिम बंगाल में 1955 में दामोदर नदी पर दुर्गापुर बराज एवं उससे निकलने वाली 136.8 कि०मी० लंबी बाँयी मुख्य नहर तथा 88.5 कि०मी० दाँयी मुख्य नहरों का निर्माण किया गया एवं बाद में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित अय्यर डैम स्थल के समीप तेनुघाट में दामोदर नदी पर 1978 में तेनुघाट डैम का निर्माण किया गया।
5. झारखण्ड में निर्मित तिलैया डैम, कोनार डैम, मैथन डैम तथा पंचेत डैम पश्चिम बंगाल में निर्मित दुर्गापुर बराज के निचले इलाकों में बाढ़ विभीषिका से बचाव के लिए बाढ़-गद्दी (Flood Cushion) के रूप में भी उपयोग किये जाते हैं।
6. सन् 1978 में दामोदर-बराकर नदियों के बेसिन में उपलब्ध जल संसाधन के अनुकूलतम उपयोग हेतु बिहार सरकार (वर्तमान में झारखण्ड सरकार) तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुए एकरारनामे में सहमति बनी कि:-
 - (क) पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार (अब झारखण्ड सरकार) के प्रतिबद्ध जल आवश्यकताओं के पश्चात् 75 प्रतिशत निर्भरता पर आकलित जल उपलब्धता (Yield) के Conservative estimate के आधार पर 4 (चार) लाख एकड़ फीट (493.39 MCM) शेष जल उपलब्ध है जिसका उपयोग करते हुए बिहार सरकार (वर्तमान में झारखण्ड सरकार) द्वारा सिंचाई आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा सकता है।
 - (ख) भविष्य की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु “dependable yield” के आधार पर बिहार सरकार (अब झारखण्ड सरकार) एवं पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा बराकर नदी पर बालपहाड़ी या उसके समीप एक डैम का निर्माण किया जा सकता है।
7. तत्कालीन बिहार सरकार (अब झारखण्ड सरकार) एवं पश्चिम बंगाल सरकार के बीच 1978 में हुए उपरोक्त सहमति के आलोक में गिरिडीह के बालपहाड़ी ग्राम के पास बराकर नदी पर मिट्टी बाँध एवं उसके 4.75 कि०मी० अधोप्रवाह (D/S) में बराज बनाकर गिरिडीह जिले के गाँडेय, धनबाद जिले के टंुडी एवं निरसा तथा जामताड़ा जिले के नारायणपुर एवं जामताड़ा सदर प्रखंडों में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु सन् 1997 से उपर्युक्त योजना के निर्माण के लिए Pre-feasibility Report पर दामोदर घाटी निगम (DVC) और दामोदर घाटी जलाशय नियंत्रण समिति (DVRRC) द्वारा विचार विमर्श शुरू किया गया और अन्ततः सन् 2006 में DVC द्वारा बालपहाड़ी डैम प्रोजेक्ट का DPR तैयार करने के लिए सर्वे और अनुसंधान कार्य का दायित्व CWC को सौंपा गया और उपर्युक्त प्रखंडों में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु सर्वप्रथम 2012 में डैम, बराज एवं नहर प्रणाली के निर्माण हेतु ₹ 2127.37 करोड़ का DPR CWC द्वारा समर्पित किया गया जिस पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अध्ययन का दायरा बढ़ाने संबंधी आपत्ति करते हुए विगत 11 वर्षों से सहमति नहीं दी जा रही है जबकि DVC और CWC द्वारा ऐतिहासिक आँकड़ों के आधार पर स्पष्ट कर दिया गया है कि, पश्चिम बंगाल की सभी जल आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् भी बालपहाड़ी डैम स्थल पर 75 प्रतिशत निर्भरता पर वार्षिक जल उपलब्धता (Yield) 14.2 लाख एकड़ फीट (1751 MCM) (तिलैया डैम पर उपलब्ध जल को छोड़कर) है। DVRRC की बैठकों में बार-बार यह निर्णय लिया जाता है कि यह प्रोजेक्ट तीनों हितधारकों DVC, झारखण्ड सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के लिए लाभकारी है। अब 2021 के Price Level पर योजना की लागत राशि रूपया 5870 करोड़ हो गया है।

8. पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा योजना पर अबतक सहमति नहीं दिये जाने के कारण गिरिडीह जिले के गांडेय, धनबाद जिले के टुंडी एवं निरसा तथा जामताड़ा जिले के नारायणपुर एवं जामताड़ा सदर प्रखंडों में सुनिश्चित सिंचाई उपलब्ध नहीं करायी जा पा रही है और झारखण्ड के बालपहाड़ी स्थल पर 75 प्रतिशत निर्भरता पर उपलब्ध 14.2 लाख एकड़ फीट (1751.54 MCM) जल के बावजूद अपने हिस्से का न्यूनतम सहमत जल (4 लाख एकड़ फीट) का सिंचाई हेतु उपयोग नहीं हो पा रहा है। बालपहाड़ी सिंचाई योजना के निर्माण हो जाने से उक्त प्रखण्डों के विभिन्न गाँवों में 27,673 हे० में खरीफ तथा 5,534 हे० में रबी फसल हेतु सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
9. यद्यपि DVC Act 1948 के प्रावधानों (कंडिका-12 'क') के तहत दामोदर नदी एवं इसकी सहायक नदियों की घाटी क्षेत्र में सिंचाई, जल-आपूर्ति और जल निकास के लिए योजनाओं का प्रोत्साहन एवं संचालन DVC द्वारा किया जाना है, परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में DVC द्वारा योजना के निर्माण में कोई सार्थक पहल एवं प्रयास नहीं किये जाने के कारण दामोदर-बराकर बेसिन में झारखंड के हिस्से के उपलब्ध जल के उपयोग हेतु राज्य द्वारा अपने संसाधन से बालपहाड़ी बराज का निर्माण कराया जायेगा।
10. CWC द्वारा तैयार किये गये DPR के अनुसार वर्ष 2021 के Price Level पर बालपहाड़ी बराज की लागत राशि ₹० 177.50 करोड़ आकलित है। बालपहाड़ी बराज, लम्बाई 223.5 मी०, का निर्माण बराकर नदी में Latitude 24°01'56"N एवं Longitude 86°24'47"E पर प्रस्तावित है।
11. बराज के निर्माण से विस्थापन की समस्या नहीं है।
12. बराज निर्माण के पूर्व, बराज से होने वाली नदी पारिस्थितिकी तंत्र (River Ecosystem) पर प्रभाव एवं प्राकृतिक आवासों (Natural Habitats) को बाधित करने वाले कारकों व प्रभाव का विस्तृत अध्ययन कर लिया जायेगा।
13. राज्यहित को ध्यान में रखते हुए बालपहाड़ी सिंचाई योजनान्तर्गत बालपहाड़ी बराज का निर्माण राज्य सरकार द्वारा कराये जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है।
14. उपर्युक्त निर्णय पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति जल संसाधन विभाग के संलेख ज्ञापांक-138, दिनांक-11.03.2025 के क्रम में दिनांक-25.03.2025 की बैठक में मद संख्या-12 के तहत स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।
